न्यूज़ टुडे

सुप्रीम कोर्ट ने महिला न्यायिक अधिकारी को बहाल करके न्यायपालिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने का समर्थन किया

इसके साथ ही, **पिंकी मीणा बनाम राजस्थान हाई कोर्ट मामले** में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व को भी रेखांकित भी किया।

- ज्ञातव्य है कि राजस्थान हाई कोर्ट ने 2020 में एक महिला न्यायिक अधिकारी को इसलिए हटा दिया था, क्योंकि उसने सिविल जज पद के लिए आवेदन करते समय अपने पूर्व में सरकारी शिक्षक के रूप में किए गए कार्य का उल्लेख नहीं किया था।

इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित टिप्पणी भी की है:

- न्यायपालिका में **महिलाओं की प्रभावी भागीदारी को समग्र रूप से समझने के लिए तीन मुख्य परिघटनाओं पर गौर करना महत्वपूर्ण है:**
  - कानूनी पेशे में **महिलाओं का शामिल होना;**
  - इस पेशे में **महिलाओं का बने रहना और उनकी संख्या में वृद्धि;**
  - इस पेशे के वरिष्ठ पदों पर **महिलाओं की संख्या में वृद्धि।**
- **इसके अलावा, न्यायपालिका में महिलाओं के अधिक प्रतिनिधित्व के निम्नलिखित लाभ भी हैं:**
  - निर्णय लेने की **समग्र गुणवत्ता में सुधार** होगा तथा विविध **सामाजिक और व्यक्तिगत संदर्भों एवं अनुभवों के प्रति बेहतर प्रतिक्रिया सक्षम होगी।**
  - **जेंडर आधारित रूढ़िवादिता में बदलाव आएगा,** जिससे पुरुषों और महिलाओं की उचित भूमिकाओं को लेकर दृष्टिकोण एवं धारणाएं भी बदलेंगी।
  - इससे निर्णय लेने वाले अन्य पदों पर **अधिक प्रतिनिधित्व का मार्ग प्रशस्त होगा। उदाहरण के लिए-** सरकार की विधायिका और कार्यपालिका में महिलाओं की संख्या बढ़ेगी।
  - **महिलाओं में न्याय पाने की इच्छा** तथा न्यायालयों के माध्यम से अपने अधिकारों की रक्षा करने संबंधी प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा।

न्यायपालिका में महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व

- **सुप्रीम कोर्ट:** 1950 में अपनी स्थापना के बाद से सुप्रीम कोर्ट में केवल **11 महिला न्यायाधीश नियुक्त हुई हैं। पिछले 75 सालों में सुप्रीम कोर्ट में कोई भी अनुसूचित जाति या जनजाति समुदाय की महिला न्यायाधीश नहीं** बनी है।
- **हाई कोर्ट्स:**
  - न्यायपालिका की स्थिति रिपोर्ट, 2023 के अनुसार इनमें केवल **13.4%** न्यायाधीश महिलाएं हैं।
  - भारतीय न्याय रिपोर्ट 2025 के अनुसार **तेलंगाना और सिक्किम को छोड़कर किसी भी राज्य के हाई कोर्ट में 30% से अधिक महिला न्यायाधीश नहीं हैं।**
  - **मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, पटना और उत्तराखंड हाई कोर्ट्स** में कोई महिला न्यायाधीश **नहीं** है।

विश्व की पहली 'पशु स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट' जारी की गई

यह रिपोर्ट **विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (WOAH)** द्वारा जारी की गई है। यह विश्व में पशुओं के स्वास्थ्य की स्थिति पर पहली व्यापक वैश्विक रिपोर्ट है।

- **विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (WOAH) का मुख्यालय पेरिस** में है। इसकी स्थापना 1924 में **ऑफिस इंटरनेशनल देस एपिज़ूटीज़ (Office International des Epizooties)** के रूप में हुई थी। इसे विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (WOAH) नाम **2003** में दिया गया था।
- यह संगठन **पशु संबंधी रोगों की जानकारी पारदर्शी रूप से साझा** करता है और **पशु स्वास्थ्य सुधारने** के लिए कार्य करता है ताकि एक **सुरक्षित, स्वस्थ और संधारणीय विश्व बना** रह सके।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **रोग पैटर्न में बदलाव:** अब संक्रामक पशु रोग **नए भौगोलिक क्षेत्रों में फैल** रहे हैं। इनमें से लगभग **47% रोग ऐसे हैं, जो पशुओं से इंसानों में फैल** सकते हैं। इन्हें **जूनोटिक यानी पशुजन्य रोग** कहा जाता है।
  - **उदाहरण के लिए- पेस्टे डेस पेटीट्स रूमिनेंट्स भेड़ और बकरियों को प्रभावित** करता है। यह रोग पारंपरिक रूप से **विकासशील देशों तक ही सीमित** था, अब इसका प्रसार **यूरोप** में भी देखा गया है।
- **रोग की बढ़ती तीव्रता: अफ्रीकी स्वाइन फीवर, एवियन इन्फ्लूएंजा और खुरपका-मुंहपका** जैसी बीमारियों की आवृत्ति एवं तीव्रता बढ़ रही है। इससे कृषि खाद्य प्रणालियों को नुकसान होता है तथा **खाद्य सुरक्षा, लोक स्वास्थ्य और जैव विविधता पर भी नकारात्मक असर** पड़ता है।
- **रोग फैलने के कारक:** इसमें **जलवायु परिवर्तन और वैश्विक व्यापार का विस्तार** प्रमुख कारकों में से एक है।
- **रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस/ AMR):** अनुमान है कि 2050 तक AMR के कारण पशुधन की भारी हानि होगी। इससे **2 बिलियन लोगों की खाद्य सुरक्षा खतरे** में पड़ जाएगी और परिणामस्वरूप **100 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का आर्थिक नुकसान** भी होगा।

- **रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें:**
  - बेहतर स्वच्छता और जैव सुरक्षा उपायों जैसे अन्य नियंत्रण उपायों के साथ-साथ **सुरक्षित व प्रभावी टीकों की सामान उपलब्धता** सुनिश्चित करनी चाहिए।
  - राष्ट्रीय पशु चिकित्सा सेवाओं को मजबूत करने, वैश्विक एवं क्षेत्रीय स्तर पर समन्वय बढ़ाने, रोग निगरानी प्रणाली में सुधार आदि के लिए निवेश को बढ़ावा देना चाहिए।

RBI बोर्ड ने 2024-25 के लिए केंद्र सरकार को 2.69 लाख करोड़ रुपये के अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी

2024-25 के लिए हस्तांतरणीय अधिशेष राशि को केंद्रीय बोर्ड द्वारा अनुमोदित संशोधित **आर्थिक पूंजीगत फ्रेमवर्क (ECF)** के आधार पर तय किया गया है।

- **RBI की आय के प्रमुख स्रोत:** सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज की वसूली से आय, तरलता प्रबंधन साधनों (जैसे- लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी) से निवल ब्याज आय, ऋण, विदेशी मुद्रा निवेश पर अर्जित ब्याज आदि।

आर्थिक पूंजीगत फ्रेमवर्क (ECF) के बारे में

- **उत्पत्ति:** ECF को RBI द्वारा 2019 में **बिमल जालान समिति** की सिफारिशों के आधार पर अपनाया गया था।
  - ECF **एंटरप्राइज़-वाइड रिस्क मैनेजमेंट (ERM) फ्रेमवर्क (2012)** का एक अभिन्न अंग है।
- **अवधारणा:** ECF, रिस्क प्रोविजनिंग के उचित स्तर को निर्धारित करने और **RBI अधिनियम, 1934 की धारा 47** के तहत किए जाने वाले लाभ वितरण के लिए एक पद्धति प्रदान करता है।
  - रिस्क प्रोविजनिंग के तहत RBI को अपनी बैलेंस शीट का कुछ प्रतिशत हिस्सा आकस्मिक जोखिम बफर (Contingent Risk Buffer) के रूप में अलग रखना होता है, ताकि वह भविष्य के किसी जोखिमों से निपट सके।
- इसलिए, किसी भी अप्रत्याशित घटना से उत्पन्न होने वाले जोखिमों से निपटने के लिए आर्थिक पूंजी के रूप में पर्याप्त राशि अपने पास सुरक्षित रखनी होती है।
- **ECF के तहत आर्थिक पूंजी के घटक:**
  - **रियलाइज़्ड इक्विटी (Realized Equity):** इसमें RBI की पूंजी, आरक्षित निधि, आकस्मिकता निधि (CF) और संपत्ति विकास निधि (ADF) शामिल हैं।
    - **आकस्मिक जोखिम बफर (Contingent Risk Buffer - CRB):** मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता, ऋण और परिचालन संबंधी जोखिमों के लिए प्रावधान करने हेतु RBI की रियलाइज़्ड इक्विटी का घटक।
  - **पुनर्मूल्यांकन शेष (Revaluation Balances):** इनमें वे **अप्राप्त लाभ (Unrealised gains) या निवल हानियाँ** होती हैं जो विनिमय दर, सोने की कीमत या ब्याज दर में बदलाव के कारण उत्पन्न होती हैं।
- **फ्रेमवर्क की अवधि:** समिति ने **हर 5 साल में इस फ्रेमवर्क की समीक्षा** करने की सिफारिश की है।

ECF में प्रमुख संशोधन

- **CRB के तहत रिस्क प्रोविजनिंग:** इसे RBI की बैलेंस शीट के **4.5 प्रतिशत से 7.5 प्रतिशत** की सीमा तक बढ़ाया गया है।
  - 2024-25 के लिए CRB को **7.5 प्रतिशत तक बढ़ाने से लाभांश कम** हो गया है।
  - RBI का CRB **'रेनी डे' (वित्तीय स्थिरता संकट) के लिए** देश की बचत के रूप में है, जिसे केंद्रीय बैंक ने **अंतिम ऋणदाता (Lender of Last Resort - LoLR) के रूप में अपनी भूमिका को ध्यान में रखते हुए** बनाए रखा है।
- **बाजार जोखिम (Market Risk):** अब इसमें **ऑन-बैलेंस शीट और ऑफ-बैलेंस शीट** दोनों तरह के एक्सपोज़र शामिल हैं तथा साथ ही, **छोटी मुद्रा परिसंपत्तियां** भी शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि मातृत्व अवकाश प्रजनन अधिकारों का अभिन्न हिस्सा है

सुप्रीम कोर्ट ने **के. उमादेवी बनाम तमिलनाडु सरकार वाद** में निर्णय दिया कि **मातृत्व अवकाश किसी महिला के प्रजनन अधिकारों का अनिवार्य हिस्सा** है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से **कामकाजी महिलाओं के संवैधानिक और मानवाधिकारों को बल** मिला है।

- शीर्ष न्यायालय ने **मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द** कर दिया, जिसमें एक महिला को उसके **तीसरे बच्चे के जन्म पर मातृत्व अवकाश देने से इनकार** कर दिया गया था। मद्रास हाई कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा था कि राज्य की नीति **केवल दो बच्चों के जन्म तक ही मातृत्व अवकाश का हितलाभ** प्रदान करती है।

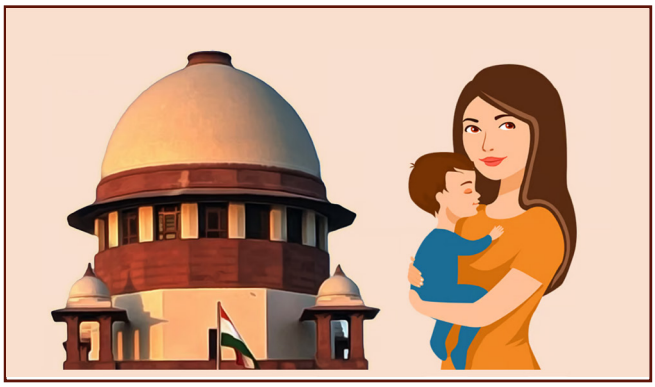

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के मुख्य बिंदु

- **प्रजनन अधिकार (Reproductive Right):** मातृत्व अवकाश **मातृत्व हितलाभ का एक अभिन्न अंग** है और यह महिला के प्रजनन अधिकारों का मुख्य पहलू है।
- **संवैधानिक सुरक्षा:** **सुचिता श्रीवास्तव बनाम चंडीगढ़ प्रशासन** मामले के अनुसार महिला की **प्रजनन संबंधी विकल्पों की स्वतंत्रता** को संविधान के **अनुच्छेद 21 के अंतर्गत** उसकी **"दैहिक स्वतंत्रता (Personal liberty)"** के तहत संरक्षित किया गया है।
- **मानवाधिकार:** प्रजनन अधिकारों को **सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा-पत्र (UDHR)** में मान्यता प्राप्त है। साथ ही प्रजनन अधिकारों में **स्वास्थ्य, निजता, गरिमा और समानता के अधिकार भी शामिल** हैं।
- **सामाजिक न्याय:** मातृत्व अवकाश से संबंधित कानून महिलाओं की "माता" और "कामकाजी" के रूप में **दोहरी भूमिका को समर्थन देकर सामाजिक न्याय** सुनिश्चित करता है, ताकि वे आत्मनिर्भर एवं गरिमापूर्ण जीवन जी सकें।
  - जनसंख्या नियंत्रण एक **उचित नीतिगत उद्देश्य** हो सकता है, लेकिन यह **मूलभूत प्रजनन अधिकारों पर हावी** नहीं हो सकता। **न्याय, समानता और कल्याण के व्यापक उद्देश्यों की पूर्ति** हेतु दोनों में संतुलन आवश्यक है।

मातृत्व हितलाभ अधिनियम:

- **मातृत्व हितलाभ अधिनियम, 1961** महिलाओं को **प्रसव से पहले और प्रसव के बाद निर्धारित अवधि के लिए सवेतन मातृत्व अवकाश और इससे संबंधित लाभ** प्रदान करता है। इस कानून में **2017 में संशोधन** किया गया था।
- **किन पर लागू है:** कारखाना, खदान, बागान, सरकारी प्रतिष्ठान, दुकान और वे सभी कार्यस्थल जहां **10 या अधिक कर्मचारी कार्यरत** हैं।
  - **कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत आने वाली महिलाएं भी मातृत्व हितलाभ की पात्र** हैं।
- **मातृत्व अवकाश:** जिन महिलाओं की **दो से कम जीवित संतान हैं, उन्हें 26 सप्ताह का सवेतन मातृत्व अवकाश** मिलता है। **जिनके दो या अधिक संतान हैं, उन्हें 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश** प्रदान किया जाता है।

संयुक्त राज्य अमेरिका के हाउस ऑफ़ रीप्रेज़ेंटेटिव ने विप्रेषणों के बहिर्गमन पर 3.5% कर के प्रावधान वाले 'वन, बिग, ब्यूटीफुल बिल' को मंज़ूरी दी

'विप्रेषणों के अंतरण पर उत्पाद शुल्क' नामक यह नया प्रस्तावित प्रावधान **1 जनवरी, 2026** से लागू होगा।

विप्रेषण (Remittance) के बारे में

- **परिभाषा:** किसी अन्य देश में काम करने वाले लोगों द्वारा अपने गृह देश में धन के अंतरण को विप्रेषण के रूप में जाना जाता है।
  - 2023 में, प्रवासी कामगारों द्वारा अपने गृह देशों को भेजी गई कुल विप्रेषण राशि **लगभग 656 बिलियन अमेरिकी डॉलर** थी।
- 2024 में भारत को कुल वैश्विक विप्रेषण का **14.3% हिस्सा प्राप्त** हुआ था। यह अब तक भारत द्वारा प्राप्त की गई सबसे अधिक हिस्सेदारी है।

विधेयक के मुख्य प्रावधानों पर एक नजर

- **विप्रेषण कर (उत्पाद शुल्क)** केवल **गैर-अमेरिकी नागरिकों** पर लागू होगा, जबकि अमेरिकी नागरिकों को इससे छूट दी गई है।
  - इससे प्रभावित समूहों में **वीज़ा धारक (H-1B व F-1), ग्रीन कार्ड धारक** आदि शामिल हैं।
- इस विधेयक में **विप्रेषण के बहिर्गमन पर लगने वाले कर को 5% से घटाकर 3.5%** करने का प्रावधान किया गया है।

विप्रेषण के अंतरण पर उत्पाद शुल्क का प्रभाव

- **वैश्विक आर्थिक प्रभाव:** अल-सल्वाडोर, मैक्सिको, भारत जैसे देश जो अमेरिकी विप्रेषण से सबसे अधिक लाभ प्राप्त करते हैं को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।
  - यह विधेयक विदेशी कामगारों को अमेरिका में संपत्ति या रोजगार बनाए रखने से भी हतोत्साहित कर सकता है।
- **भारत में विप्रेषण के अंतर्वाह में कमी:** संयुक्त राज्य अमेरिका भारत के लिए विप्रेषण का सबसे बड़ा स्रोत है। इसने 2023-24 में कुल विप्रेषण प्रवाह में **32.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर** का योगदान किया था।
- विप्रेषण कर लगने से अमेरिका में भारतीयों द्वारा **कुछ धन को ग्रे या ब्लैक मार्केट में अंतरित** किया जा सकता है, ताकि इस नए प्रावधान से बचा जा सके।

संबंधित सुर्ख़ियां: उदारीकृत विप्रेषण योजना (LRS)

RBI के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में **उदारीकृत विप्रेषण योजना (LRS)** के तहत छात्र विप्रेषण पांच साल के निचले स्तर (2.92 बिलियन अमेरिकी डॉलर) पर आ गया है। यह छात्र बहिर्वाह में कमी का संकेत देता है।

उदारीकृत विप्रेषण योजना (LRS) के बारे में

- **उत्पत्ति:** भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2004 में इसकी शुरुआत की गई थी।
- **लाभ:** सभी निवासी व्यक्तियों (जिनमें नाबालिक भी शामिल हैं) को किसी भी अनुमेय चालू या पूंजीगत खाते के लेन-देन या दोनों के संयोजन के लिए प्रति वित्तीय वर्ष **250,000 डॉलर** तक की राशि स्वतंत्र रूप से भेजने की अनुमति है।
- इसके तहत **विप्रेषण की बारंबारता पर कोई प्रतिबंध नहीं** है।
- यह योजना **कॉर्पोरेट्स, साझेदारी फर्मों, हिंदू अविभाजित परिवार (HUF), ट्रस्ट आदि के लिए उपलब्ध नहीं** है।

अन्य सुर्ख़ियां

ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक

हाल ही में आयोजित **ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक** में भारत ने **ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच निर्यात नियंत्रण व्यवस्था को समाप्त करने की अपील** की।

बैठक के दौरान अपनाए गए प्रमुख परिशिष्ट:

- **WTO में सुधार और बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था को मजबूत करने पर ब्रिक्स घोषणा-पत्र:** भारत ने 2025 में विश्व व्यापार संगठन (WTO) की 30वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में **"30 के लिए 30" पहल** का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस पहल में **WTO में 30 क्रमिक सुधारों की सिफारिश** की गई है।
- **ब्रिक्स डेटा इकोनॉमी गवर्नेंस समझौता:** डिजिटल तकनीकों को अपनाने में **डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI)** की भूमिका को एक प्रमुख प्रेरक तत्व के रूप में मान्यता दी गई।
- **ब्रिक्स व्यापार और सतत विकास रूपरेखा:** इस बात की पुष्टि की गई कि **व्यापारिक प्रावधानों का अनुचित भेदभाव या छिपे हुए प्रतिबंधों के लिए दुरुपयोग नहीं** किया जाना चाहिए।

चरक और सुश्रुत

उपराष्ट्रपति ने **गोवा के राजभवन में स्थापित चरक और सुश्रुत की मूर्तियों** का अनावरण किया।

चरक के बारे में

- ये **कुषाण साम्राज्य** के शाही चिकित्सक थे और उन्हें **चिकित्सा का जनक** कहा जाता है।
- **उन्होंने चरक संहिता की रचना की थी।**
  - इसमें आयुर्वेद पर आयोजित एक सम्मेलन की कार्यवाही दर्ज है, जो **हिमालय की तराई** में आयोजित किया गया था।
  - इस सम्मेलन की अध्यक्षता **वैद्य आत्रेय** ने की थी।
  - इसमें **आंतरिक चिकित्सा** पर ध्यान केंद्रित किया गया है। साथ ही, यह आयुर्वेद में **स्वास्थ्य और रोगों के मौलिक सिद्धांतों एवं प्रबंधन** पर विस्तार से प्रकाश भी डालता है।

सुश्रुत के बारे में

- इन्हें **"प्लास्टिक सर्जरी का जनक"** माना जाता है।
- इन्होंने **सुश्रुत संहिता** की रचना की थी।
- इसमें **शल्य चिकित्सा (Surgery), शरीर रचना विज्ञान (Anatomy)** जैसे विषयों का विस्तार से वर्णन है। इसमें **मोतियाबिंद (Cataract), पुनर्निर्माण सर्जरी** (Reconstructive Surgery) जैसे आधुनिक विषयों का भी उल्लेख है।

प्रधान मंत्री कृषि संपदा योजना (PMKSY)

केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) ने प्रधान मंत्री कृषि संपदा योजना (PMKSY) के अंतर्गत **"कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना सृजन स्कीम"** के तहत आवेदन आमंत्रित किए।

प्रधान मंत्री कृषि संपदा योजना (PMKSY) के बारे में:

- **योजना का प्रकार:** यह एक **केंद्रीय क्षेत्रक** योजना है। इसे **2017 में मंजूरी** मिली थी। इसे **वित्त वर्ष 2026 तक 4600 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ जारी** रखा गया है।
- **कार्यान्वयन मंत्रालय:** केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय।
- **उद्देश्य:**
  - मेगा फूड पार्क/ क्लस्टर और एकल इकाइयों के लिए **आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना का निर्माण** करना।
  - किसानों, प्रसंस्करण इकाइयों और बाजारों को जोड़ने के लिए **प्रभावी बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज** बनाना।
  - **शीघ्र नष्ट हो जाने वाले कृषि उत्पादों के लिए मजबूत आपूर्ति श्रृंखला अवसंरचना** का निर्माण करना।

कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना सृजन स्कीम (APC) के बारे में

- **उद्देश्य:** आधुनिक अवसंरचना और साझा सुविधाओं का विकास करना, ताकि **क्लस्टर आधारित अप्रोच** के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित करने हेतु **उद्यमियों के समूहों को प्रोत्साहित** किया जा सके।

प्रसारण सेवाओं पर दोहरा कराधान

सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि **प्रसारण सेवाओं पर दोहरा कराधान, कानून के तहत मान्य** है।

निर्णय के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **दोहरे कराधान की अनुमति:** सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि **दोहरा कराधान तब वैध है,** जब वह एक ही गतिविधि के विविध पहलुओं पर अलग-अलग विधायी शक्तियों के अंतर्गत लगाया जाता है।
- **केंद्र सरकार की शक्ति:** संविधान की **संघ सूची की प्रविष्टि 97** के अंतर्गत केंद्र सरकार **प्रसारण सेवा को एक सेवा के रूप में सेवा कर के दायरे में** ला सकती है।
  - **वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66d** के तहत सेवा कर सभी सेवाओं पर लागू होता है, **सिवाय उन सेवाओं के जो नकारात्मक सूची** में आती हैं।
- **राज्य सरकार की शक्ति:** राज्य सरकार **राज्य सूची की प्रविष्टि 62 के अंतर्गत मनोरंजन सामग्री पर मनोरंजन कर** लगा सकती है।
  - मनोरंजन कर **वाणिज्यिक मनोरंजन गतिविधियों** पर लगाया जाता है। जैसे- सिनेमा (सिनेमैटोग्राफ) प्रदर्शन, मनोरंजन कार्यक्रम, इत्यादि।

व्हाइट हिमालयन लिली और ट्री फर्न

उत्तराखंड वन विभाग की नवीनतम रिपोर्ट में 2,228 पादप प्रजातियों के संरक्षण को रेखांकित किया गया है, जिनमें व्हाइट हिमालयन लिली और ट्री फर्न भी शामिल हैं।

व्हाइट हिमालयन लिली (लिलियम पॉलीफिलम/ Lilium polyphyllum) के बारे में:

- यह दुर्लभ और सुगंधित लिली प्रजाति है। यह हिमालय क्षेत्र की मूल (नेटिव) प्रजाति है। इसके फूल आमतौर पर सफेद या गुलाबी रंग के होते हैं, जिन पर गहरे धब्बे और धारियां होती हैं।
- इसमें एल्कलॉइड्स और फ्यूरोकौमारिन्स जैसे सक्रिय रासायनिक घटक प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं।
- पारंपरिक चिकित्सा पद्धति में इसका उपयोग हाइपरडिप्सिया (अत्यधिक प्यास लगना), हेमाटेमेसिस (खून की उल्टी), ब्रोंकाइटिस, गठिया आदि के उपचार में होता रहा है।
- IUCN रेड लिस्ट स्थिति: क्रिटिकली एंडेंजर्ड।

ट्री फर्न के बारे में:

- ये संवहनी पादप (vascular plants) होते हैं। इनमें बीज, फूल, फल या पौधों के सामान्य प्रजनन भाग नहीं होते।
- इनका औषधीय महत्त्व अधिक है। इनमें एंटी-ऑक्सीडेंट, एंटी-माइक्रोबियल, एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-अस्थमैटिक गुण मौजूद हैं।
- उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में ट्री फर्न की ऐसी कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जो पारिस्थितिकी एवं औषधीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने सभी CAPFs में कैडर समीक्षा का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) में 6 महीने के भीतर कैडर समीक्षा करने का आदेश दिया।

- CAPFs गृह मंत्रालय के अधीन सशस्त्र पुलिस संगठन हैं।
- CAPFs में असम राइफल्स, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल आदि शामिल हैं।

संबंधित मुख्य तथ्य

- करियर में ठहराव को रोकने और कार्मिकों के मनोबल की रक्षा के लिए, को CAPFs में पदों को भरने का प्राथमिक तरीका पदोन्नति ही होना चाहिए।
- सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि CAPFs में वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (SAG) तक के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति (deputation) दो वर्षों के भीतर उत्तरोत्तर कम की जानी चाहिए।
  - वर्तमान में, CAPFs में वरिष्ठ पदों पर बड़े पैमाने पर भारतीय पुलिस सेवा (IPS) से प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारी कार्यरत हैं। इससे बलों के भीतर कार्मिकों के लिए पदोन्नति के अवसर सीमित हो जाते हैं।

गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA)1967

UAPA अधिकरण ने मेघालय के हिनीवट्रेप नेशनल लिबरेशन काउंसिल (HNLC) को अगले पांच साल के लिए 'गैर-कानूनी संगठन' घोषित करने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखा है।

UAPA, 1967 के बारे में

- उद्देश्य: ऐसे व्यक्तियों और संगठनों की गैर-कानूनी गतिविधियों को रोकना, जो देश की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता को खतरा पहुँचाते हैं। आतंकी गतिविधियों से निपटने। साथ ही, आतंकवादी गतिविधियों और उनसे जुड़े मामलों से निपटना।
  - 2019 में इसमें संशोधन करके केवल दोषी संगठनों को ही नहीं, बल्कि व्यक्तियों को भी आतंकवादी घोषित करने का प्रावधान शामिल किया गया था।
- UAPA अधिकरण के बारे में
  - केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अधिकरण का गठन कर सकती है।
  - इसमें एक ही व्यक्ति शामिल होता है, जो हाई कोर्ट का न्यायाधीश होता है।
  - केन्द्र सरकार आवश्यक स्टाफ उपलब्ध कराती है तथा सभी व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं।
  - इसे सिविल प्रक्रिया संहिता (1908) के अंतर्गत सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त हैं।

भुगतान विनियामक बोर्ड (Payments Regulatory Board)

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने भुगतान विनियामक बोर्ड विनियम, 2025 को अधिसूचित किया। इन्हें भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत अधिसूचित किया गया है।

- ये विनियम भुगतान और निपटान प्रणाली के विनियमन एवं पर्यवेक्षण के लिए बोर्ड विनियम, 2008 की जगह लेंगे।

भुगतान विनियामक बोर्ड के बारे में:

- संरचना:
  - अध्यक्ष: भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर।
  - पदेन सदस्य: भुगतान प्रणाली के प्रभारी RBI डिप्टी गवर्नर और RBI द्वारा नामित एक अधिकारी।
  - 3 सदस्य: केंद्र सरकार द्वारा नामित।
  - विशेषज्ञ आमंत्रण: यह बोर्ड भुगतान, सूचना प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा, कानून जैसे क्षेत्रकों से विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकता है।
- कार्यकाल: सरकार द्वारा नामित सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्षों का होगा। उन्हें फिर से नामित नहीं किया जा सकता।
- बैठकें: प्रत्येक वर्ष कम-से-कम दो बार बैठक करना अनिवार्य है।
- कोरम (गणपूर्ति): न्यूनतम 3 सदस्य आवश्यक हैं, जिनमें अध्यक्ष या डिप्टी गवर्नर में से कोई एक होना जरूरी है।
- निर्णय प्रक्रिया: बहुमत से निर्णय लिए जाएंगे। यदि मत बराबर हों, तो अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

सुर्ख़ियों में रहे स्थल

ऑस्ट्रेलिया (राजधानी: कैनबरा)

ऑस्ट्रेलिया में 'शताब्दी की सबसे भयंकर' बाढ़ के कारण 50,000 लोग फंसे।

भौगोलिक अवस्थिति

- स्थान: ऑस्ट्रेलिया पृथ्वी का सबसे छोटा महाद्वीप और छठा सबसे बड़ा देश है। यह प्रशांत और हिंद महासागर के बीच स्थित है।
  - ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया से तिमोर और अराफुरा सागर (उत्तर-पश्चिम) द्वारा, तथा पापुआ न्यू गिनी से कोरल सागर और टोरेस जलडमरूमध्य (उत्तर-पूर्व) द्वारा अलग होता है।
- राजनीतिक व्यवस्था: संघीय सरकार एवं संवैधानिक राजतंत्र।
  - ऑस्ट्रेलिया यूनाइटेड किंगडम के कॉमनवेल्थ का हिस्सा है, इसलिए ब्रिटेन का सम्राट वहां का राष्ट्र प्रमुख होता है।

भौगोलिक विशेषताएं

- ऑस्ट्रेलिया का एक-तिहाई से अधिक भाग रेगिस्तान है।
- प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं: ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, मैकडोनेल रेंज आदि।
- प्रमुख नदियां: मरे-डार्लिंग, मुर्रअमबिड्जी, लैकलन आदि।
- ग्रेट बैरियर रीफ क्वींसलैंड के पूर्वी तट के पास स्थित है। यह दुनिया की सबसे बड़ी मूंगे की चट्टानों की श्रृंखला है।